कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित :- श्री अनिल सन्त, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री अग्रवाल निवाड भण्डार, 77 / 8 - A सूतरखाना, कानपुर
प्रार्थना पत्र संख्या:- 07 / 09 दिनांक 30.01.2009
प्रार्थी की ओर से :- श्री प्रदीप अग्रवाल, एडवोकेट

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 59 के अन्तर्गत निर्णय

1. सर्वश्री अग्रवाल निवाड भण्डार, 77 / 8 - A सूतरखाना, कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2009 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही है।

प्लास्टिक से बने दोने, प्लेट, ग्लास, चम्मच, कॉटे पर कर की दर क्या है ?

2. धारा- 59 के प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु श्री प्रदीप अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं एक लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि व्यापारी प्लास्टिक के दोने, प्लेट, चम्मच, काटे की खरीद एवं बिक्री का व्यापार करते हैं तथा उनके द्वारा उपरोक्त वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही है।

3. व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्लास्टिक के काटे व चम्मच उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम- 2008 की अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि 24 के अन्तर्गत 4% की दर से कर देय है तथा इस संबंध में मा0 कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री वर्षा इन्टर प्राइजेज, गाजियाबाद के (प्रा0 प0 94 / 08) के मामले में दिनांक 12.03.2008 को पारित आदेश द्वारा प्लास्टिक के काटे व चम्मच को अनुसूची - 2 भाग- क की प्रविष्टि- 24 के अन्तर्गत "अदर कन्वेन्स आर्टीकल्स आफ प्लास्टिक" का माना गया है तथा उनके द्वारा बेचे जाने वाले "प्लास्टिक के ग्लास" अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि- 39 के अन्तर्गत आते हैं तथा "प्लास्टिक के बने दोने व प्लेट" जो कि खाना खिलाने वाले बर्तन है यह अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि - 7 के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

4. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008_की अनुसूची - 2 भाग- क की प्रविष्टि 7, 39, 24 निम्नवत् है :-

7.	**All utensils** including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, Ceramicwares and glasswares
39.	Cups and **glasses** of paper & plastics;
24.	Buckets made of iron & steel, aluminum, plastic or other materials (except precious materials); **Other conveyance articles of plastic** (vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08... dated 10-01-08 effective from 1-1-08).

5 व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड- 1, वाणिज्य कर ने अपने पत्रांक 3888 दिनांक 12.02.2009 द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग- ए के पत्रांक 4404 दिनांक 12.02.2009 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि- 24 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

6. मेरे द्वारा, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, विभागीय आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। प्लास्टिक के बने काटे व चम्मच के संबंध में सर्वश्री वर्षा इन्टर प्राइजेज, गाजियाबाद के मामले में तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर महोदय द्वारा उक्त को अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि- 24 के अन्तर्गत मानते हुए आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश प्रस्तुत मामले में भी "प्लास्टिक के काटे व चम्मच" के संबंध में प्रभावी रहेगा। जहॉ तक प्लास्टिक के ग्लास का प्रश्न है यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम- 2008 के अन्तर्गत जारी अनुसूची - 2 भाग- क की प्रविष्टि- 39 में आने के कारण 4% की दर से कर देय होगा तथा "प्लास्टिक की प्लेट व दोने" यह खाना खिलाने के काम आते हैं। अत: यह खाना खिलाने के बरतन होने के नाते अनुसूची- 2 भाग- क की प्रविष्टि- 7 के अन्तर्गत "आल यूटेन्सिल्स" के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से कर देय होंगे।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा- 59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

8 इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति संबंधित कर निर्धारण अधिकारी व एक प्रति कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु भेजी जाये।

दिनांक :: 12अगस्त,2009

प्रमाणित प्रतिलिपि

ह0/= 12.08.2009
(अनिल संत)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।